कोर्ट केस/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–21रिट/नौ–5–2016–258सा/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊ:: दिनांक 06 जुलाई, 2016

विषय–प्लास्टिक कैरी बैग्स को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या–3306/55–पर्या/15–27 (पर्या)/15 दिनांक 22.12.2015 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स को प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निदेश जारी किये गये हैं:–

1– किसी दुकानदार, विकेता, थोक विकेता, फेरीवालों या रेहड़ीवालों (अर्थात जिसमें सभी प्रकार के हाथ से धकेलने वाले ठेले शामिल हैं जो सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं) सहित कोई भी व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ या अखाद्य सामान या सामग्री/वस्तु के भण्डारण या वितरण के लिये किसी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों का विकय या भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा।

2– कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पॉली प्रोपलीन व न चुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों शामिल हैं) का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विकय या ढुलाई नहीं करेगा।

3– कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक जिसमें पत्रिका और निमंत्रण पत्र और स्वागत–पत्र शामिल हैं, को बांधने या ढकने के लिये किसी प्रकार के प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर प्रभाव नहीं डालेगा।

2. इस संबंध में जनहित याचिका संख्या–67235/2014 अशोक कुमार व अन्य बनाम नगर निगम, इलाहाबाद व अन्य में मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्लास्टिक कैरी बैग्स को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाते हुए पर्यावरण विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 22.12.2015 में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

06/7/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

paras.GO

——2—

-2-

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, सूडा, उ.प्र. लखनऊ।
6. कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग/गार्ड फाइल।

06.07.2016

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।